



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2009/माघ 30, 1930

No. 322]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009/MAGHA 30, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2009

का.आ. 512(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से विचार-विमर्श करने के पश्चात् इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः :—

1. (1) इस आदेश को इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. अनुसूची में इलैक्ट्रिकल वायर्स, केबल, उपकरण तथा संरक्षण डिवाइसेस तथा सहायक सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003, सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सैल्फ बैलैस्टिड लैम्प संबंधी क्रम संख्या 9 में कॉलम (2) के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :—
“टिप्पण :— बैलैस्ट तथा लैम्प के सम्मिश्रण के विद्युत कारक का मूल्य 1 जनवरी, 2010 से न्यूनतम 0.85 होगा।”

[फा. सं. 6(9)2001-एलईआई]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मुख्य आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ.189(अ), द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 5 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 165(अ) तथा दिनांक 23 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1172(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
ORDER

New Delhi, the 19th February, 2009

S.O. 512(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003 in the Schedule, in serial number 9 relating to self ballasted lamps for general lighting services, after the existing entry under column (2), the following Note shall be inserted, namely :—

“Note :— The value of power factor of the combination of the ballast and the lamp shall be 0.85 minimum with effect from the 1st day of January, 2010.”

[F. No. 6(9)2001-LEI]

N.N. PARSAD, Jt. Secy.

Note :— The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 165(E), dated the 5th February, 2004 and S.O. 1172(E), dated the 23rd August, 2005.